



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 686 राँची, गुरुवार,

24 अक्टूबर, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

15 अक्टूबर, 2024

विषय: - उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत्यु की स्थिति में SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के संबंध में ।

संख्या- 18/नौ०मु०/राँ-10006/2014-5880--राज्य में विधि व्यवस्था के संधारण एवं नक्सल विरोधी अभियान को गति देने एवं अन्य सुरक्षा संबंधी दायित्वों हेतु सेवानिवृत्त सैनिकों की सेवा अनुबंध पर प्राप्त कर पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय स्वीकृत्योदश संख्या-10/ए०पी०-106/2006-108, दिनांक-07.06.2008 द्वारा राज्य में बहुउद्देशीय SAP (Special Auxiliary Police) का गठन किया गया है तथा SAP के गठन में उल्लेखित उद्देश्य के अनुसार SAP कर्मियों को विधि व्यवस्था संधारण, नक्सल अभियान व अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य दायित्व दिया जाता रहा है ।

2. अपने कार्य दायित्वों के निर्वहन के दौरान कई बार SAP कर्मियों के उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ का सामना भी करना पड़ता है तथा वे नक्सलियों से मुठभेड़ के क्रम में शहीद भी हुए हैं। ऐसी ही एक घटना दिनांक-12.06.2009 की है, जब बोकारो जिला के नवाडीह थाना के अन्तर्गत छापामारी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा बिछाये गये बारूदी सुरंग विस्फोट के कारण सैप-1

के आठ (08) कर्मियों की मृत्यु हो गयी थी। उग्रवाद क्षेत्र में उग्रवादी अपने वर्चस्व के लिए पुलिसकर्मियों एवं इनका सहायता करने वालों को निशाना बनाकर हमला करते हैं, अतः Off Duty के समय भी SAP कर्मियों पर उग्रवादी हमला की आशंका रहती है ।

3. विभागीय संकल्प संख्या-2279, दिनांक 07.05.2003 व संकल्प संख्या-2598, दिनांक-09.06.2011 द्वारा उग्रवादी हिंसा में मृत्यु की स्थिति में राज्य के सामान्य नागरिकों / गैर सरकारी व्यक्तियों के एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान राज्य गठन की तिथि से है। वहीं विभागीय संकल्प संख्या 3967, दिनांक 07.10.2009 द्वारा राज्य सरकार में कार्यरत अनुबंध कर्मियों की मृत्यु उग्रवादी हिंसा में होने की स्थिति में उनके एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर आरक्षी / चतुर्थवर्गीय पद पर सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है ।

4. उक्त आधार पर SAP कर्मियों की भी मृत्यु उग्रवादी हिंसा में होने की स्थिति में उनके एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का प्रावधान होना उचित प्रतीत होता है।

परन्तु SAP गठन के स्वीकृतिदेश संख्या-10/ए०पी०-106/2006-108, दिनांक-07.06.2008 की कंडिका 4 (iv) में उल्लेखित प्रावधान कर्तव्य पालन के क्रम में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिसकर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान देय है, वह उन्हें भी देय होगा, परन्तु आश्रित को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा के कारण उग्रवादी हिंसा/उग्रवादियों से मुठभेड़ में मृत्यु होने की स्थिति में भी इनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी नहीं दिया जा सका है ।

5. उक्त तथ्य प्रकाश में आने पर विभागीय संकल्प संख्या-4069, दिनांक 27.10.2021 द्वारा कर्तव्य पालन के क्रम में उग्रवादी हिंसा में मृत्यु की स्थिति में SAP कर्मियों के एक सुयोग्य आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति (आरक्षी / चतुर्थ वर्गीय पद पर) देने का प्रावधान किया गया है, परन्तु यह प्रावधान संकल्प जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक-27.10.2021 के पूर्व के मामलों पर लागू नहीं किया गया, जिससे इसके पूर्व की तिथि में उग्रवादी हिंसा में मृत्यु होने की स्थिति में SAP कर्मियों के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं किया जा सका है, जबकि उग्रवादी हिंसा में राज्य के गैर सरकारी व्यक्ति / सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति का प्रावधान राज्य गठन की तिथि से है ।

6. SAP कर्मी राज्य की विधि व्यवस्था संधारण, उग्रवादी विरोधी अभियान व राज्य के सामान्य नागरिकों के रक्षार्थ कार्यरत रहते हैं। अपने कार्य की प्रकृति के कारण इनका उग्रवादियों के निशाने पर होना स्वाभाविक है। अतः उग्रवादी हिंसा / उग्रवादियों से मुठभेड़ में SAP कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान SAP गठन की तिथि से करना उचित व न्यायसंगत जान पड़ता है ।

5. अतः सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिया गया है -

1. विभागीय संकल्प संख्या 4069, दिनांक 27.10.2021 द्वारा उग्रवादी अथवा आतंकवादी हिंसा / उग्रवादियों अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ में मृत्यु होने पर SAP (Special Auxiliary

Police) कर्मियों के एक सुयोग्य आश्रित को सरकारी सेवा में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु किया गया प्रावधान, SAP गठन की तिथि (दिनांक-07.06.2008) से प्रभावी होगी।

II. अन्य अनुकम्पा मामलों के समान उग्रवादी अथवा आतंकवादी हिंसा / उग्रवादियों अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ में मृत्यु होने पर SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों आश्रित को आरक्षी तथा चतुर्थ वर्ग के पद के अतिरिक्त निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर भी नियुक्ति प्रदान किया जा सकेगा।

III. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया व शर्तें निम्नवत होंगी-

(1) उग्रवादी/आतंकवादी घटना होने से संबंधित प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन-

यदि घटना के संबंध में दर्ज थाना काण्ड/आरोप पत्र में 17 सी०एल०ए० / यू०ए०पी०ए० एक्ट का समावेश नहीं किया गया है, तो जिला पुलिस कार्यालय द्वारा पुलिस अनुसंधान के आधार पर किसी घटना को उग्रवादी /आतंकवादी घटना होने के संबंध में प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन निर्गत किया जायेगा। पत्र में उग्रवादी/आतंकवादी घटना होने के संबंध में पूर्ण विवरण देना आवश्यक होगा।

(2) उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में मृत SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों की शव नहीं मिलने पर -

उग्रवादी/आतंकवादी द्वारा हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से जलाने अथवा शव को टुकड़ा-टुकड़ा करके जमीन में अनजान स्थल पर गाड़ने / नदी में बहाने / अन्यत्र फेंकने के कारण अन्त्य परीक्षण (Post Mortem) नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हत्या की घटना की जाँच कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं पुलिस उपाधिक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कराई जाएगी। कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं पुलिस उपाधिक्षक के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में साक्ष्य के आधार पर यदि पाया जाता है कि कर्मियों की मृत्यु उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा में हुई है तो उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर उक्त कर्मियों के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित जिला के उपायुक्त गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उपायुक्त द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र दावेदार आश्रित / लाभुक से प्राप्त कर लिया जाएगा कि यदि भविष्य में यह पाया गया कि प्रतिवेदित मृतक जीवित है तो ऐसी स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर की गयी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

(3) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित -

उग्रवादी/आतंकवादी घटना में मृत SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों के निम्नलिखित आश्रितों में से प्राथमिकता के आधार पर किसी एक का चयन अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु किया जा सकेगा:-

(i) पत्नी/पति: यथा स्थिति।

(ii) पुत्र / दत्तक पुत्र/ विधवा पुत्रवधु।

(iv) अविवाहित/विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता पुत्री/दत्तक पुत्री एवं विवाहित

पुत्री/दत्तक पुत्री जो मृत्यु की घटना के समय उसपर पूर्णतया आश्रित रही हों। मृतक के अविवाहित होने के मामले में-

(i) माता/पिता।

(ii) अविवाहित भाई / अविवाहित बहन।

(4) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा / शैक्षणिक योग्यता -

अनुकम्पा के आधार पर किसी आश्रित की नियुक्ति के लिए न्यूनतम / अधिकतम उम्र एवं शैक्षणिक योग्यता प्रस्तावित सेवा में प्रवेश के लिए संबंधित नियुक्ति नियमावली में विहित प्रावधान के अनुरूप होगा ।

(5) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा / शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता क्षांत करना ।

(क) यदि आश्रित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु किसी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता हो अथवा नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र का हो गया हो, तो आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा क्षांत किया जा सकेगा एवं इस निमित्त राज्य सरकार का अभिप्राय गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग होगा। परंतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल वर्ग-4 (7th Pay Matrix Leve-1 का पद) के पदों पर नियुक्ति हेतु ही क्षांत किया जायेगा ।

(ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता / अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता को क्षांत करते हुए नियुक्ति की अनुशंसा जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(6) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किस स्थिति में देय नहीं होगी-

दावेदार आवेदक यदि पागल / दिवालिया घोषित हो या संज्ञेय अपराध के लिए न्यूनतम 06 माह का कारावास काट चुका हो या जिस पर न्यायालय में ऐसा मुकदमा विचाराधीन हो जिसमें मृत्यु दंड या 06 माह या इससे अधिक अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, तो उस आवेदक का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दावा अनुमान्य नहीं होगा ।

(7) किस स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है-

(i) आश्रित जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उनके द्वारा समयांतराल पर मृतक के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनका अनुकम्पा नियुक्ति नियोक्ता प्राधिकार द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा तथा उनके संबंध में पुनः विचार नहीं किया जायेगा एवं उप कंडिका (3) में उल्लेखित प्राथमिकता क्रम के अनुसार मृतक के परिवार के किसी अन्य आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति अनुमान्य होगी। ऐसी स्थिति में मृतक के दूसरे आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन उपायुक्त को समर्पित किया जायेगा। उपायुक्त को आवेदन प्राप्त होने के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया वही होगी जो प्रथम आश्रित के लिए

निर्धारित है परंतु इस मामले में प्रथम आश्रित को नौकरी से हटाने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना आवश्यक होगा। 1 (एक) वर्ष के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) यदि मृतक की आश्रित पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर मृतक के परिवार से भिन्न अन्य परिवार का सदस्य हो जाती है या अन्यत्र चली जाती है तो ऐसी परिस्थिति में मृतक की पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी।

(8) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया- आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र-1 में, अधोलिखित कागजात के साथ दो प्रति में अपना आवेदन पत्र संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र के जाँचोपरांत संबंधित जिला के उपायुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

अपेक्षित कागजात

(i) मृत SAP (Special Auxiliary Police) कर्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र।

(ii) आवेदक का उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र।

(iii) आवेदक का शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र।

(iv) अन्य आश्रित सदस्यों का अनापति शपथ पत्र।

(v) आवेदक द्वारा भरण-पोषण संबंधी शपथ पत्र।

(vi) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची।

(vii) मृतक एवं आश्रित का आधार कार्ड।

(viii) यदि मृतक अथवा आश्रित का उनके विभिन्न दस्तावेज / कागजात में नाम में भिन्नता हो तो इस संबंध में शपथ पत्र।

(9) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने की समय सीमा-

(i) मृतक के आश्रित दावेदार द्वारा घटना की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र संबंधित जिला के उपायुक्त के समक्ष समर्पित करना आवश्यक होगा।

(ii) आवेदन प्राप्त होने के 3 माह के अंदर उपायुक्त अनुकम्पा समिति तथा उपायुक्त की स्पष्ट अनुशंसा, सभी वांछित कागजातों के साथ, विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। आश्रित के शैक्षणिक योग्यता/उम्र/शारीरिक योग्यता के आधार पर अनुकम्पा समिति द्वारा तृतीय / चतुर्थ वर्ग अथवा आरक्षी के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की जायेगी। एक बार नियुक्ति की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान किये जाने के उपरांत पुनः किसी अन्य पद अथवा अन्य आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी।

(10) अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया-

(क) योग्य आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु उनके संबंधित जिला के उपायुक्त कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा (घटना की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर) में आवेदन (अपेक्षित दस्तावेजों के साथ) जमा किया जायेगा।

(ख) आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा मामले की जाँच संबंधित कार्यालय / पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कराया जायेगा। यह भी जाँच किया जायेगा कि आवेदक आर्थिक रूप से मृतक पर आश्रित था अथवा नहीं।

(ग) जाँचोपरांत योग्य पाये जाने पर जिला स्तर पर गठित जिला अनुकम्पा समिति में मामले को विचारार्थ रखा जायेगा। उपायुक्त के अध्यक्षता में जिला में सामान्य अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित जिला अनुकम्पा समिति ही इस मामले में भी नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगी।

जिला अनुकम्पा समिति सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों को छोड़ शेष क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 अथवा वर्ग 4 के पदों अथवा आरक्षी के रिक्त पद पर नियुक्ति की अनुशंसा कर सकेगी।

(घ) अनुकम्पा समिति यह देखेगी कि आवेदन पत्र विहित समय-सीमा के अन्तर्गत समर्पित किया गया है, प्रस्तावित पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएँ आवेदक द्वारा पूर्ण किये जा रहे हैं तथा आवेदक इस प्रस्तावित नियम के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र हैं। संतुष्ट होने की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति (रिक्त पद के विरुद्ध) हेतु जिला अनुकम्पा समिति द्वारा स्पष्ट अनुशंसा किया जायेगा।

(ङ.) जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के उपरांत सभी आवश्यक दस्तावेजों / प्रतिवेदनों के साथ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह कार्य आवेदन प्राप्त होने के 3 माह के अन्दर कर लिया जायेगा।

(च) जिला अनुकम्पा समिति के अनुशंसा के आधार पर उपायुक्त से प्राप्त प्रस्ताव / दस्तावेज / प्रतिवेदनों की छानबीन कर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र होने की स्थिति में अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव के अनुमोदन से अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति दी जायेगी।

उपायुक्त से त्रुटिरहि प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में यह कार्य, प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 2 माह के अंदर कर लिया जायेगा।

(छ) अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति के पश्चात उपायुक्त द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

(ज) नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आवेदक के सभी प्रमाण-पत्रों की जाँच कर लिया जायेगा।

(झ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति रिक्त पद के आरक्षण कोटि को ध्यान में रखे बिना की जा सकेगी, किंतु नियुक्त व्यक्ति आरक्षण की दृष्टि से जिस कोटि का होगा, उसी कोटि के पद के विरुद्ध नियुक्त माने जाएँगे और आरक्षण की दृष्टि से उसी कोटि में समायोजित माने जायेंगे। इस संदर्भ में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के नियमों का पालन किया जायेगा।

(11) नियुक्ति प्राधिकार-

नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पद के भर्ती नियमावली में विहित नियुक्ति प्राधिकार इस अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में भी नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

(12) प्रकीर्ण-

(i) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर नियुक्त व्यक्ति को सेवा में योगदान कर लेना होगा।

सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के बिना, योगदान की अवधि विस्तारित नहीं की जा सकेगी तथा समय पर योगदान नहीं करने की स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पुनर्विचार नहीं किया जायेगा ।

(ii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता / दत्तक पुत्री एवं विधवा पुत्र वधू विवाह के लिए इस शर्त के साथ स्वतंत्र होंगी कि मृत सामान्य नागरिक के आश्रितों का भरण-पोषण भविष्य में सफलता पूर्वक वहन करेंगी।

(iii) नियुक्ति के बाद किसी भी स्थिति में अनुकम्पा समिति पुनर्विचार नहीं करेगी अर्थात् संवर्ग / पद परिवर्तन की सुविधा नहीं दी जा सकेगी ।

(iv) मृत SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों के आश्रित परिवार के भरण-पोषण के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं करने की स्थिति में नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा उसे पदमुक्त किया जा सकेगा ।

(v) प्रत्येक स्थापना प्रभारी उनके अधीनस्थ अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त सरकारी सेवकों के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक 05 वर्ष पर विहित प्रपत्र 3 में उनपर आश्रित सदस्यों के संबंध में सरकारी सेवक की घोषणा प्राप्त किया करेंगे ।

(vi) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संदर्भ में उपर्युक्त विहित प्रावधान के किसी बिन्दु के संबंध में स्पष्टीकरण की शक्ति गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची में सन्निहित होगी ।

(vii) दिनांक 21.10.2021 के पूर्व के मामलों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 05 (पाँच) वर्ष के अन्दर आवेदन करने की बाध्यता क्षांत रहेगी ।

(viii) उक्त प्रावधान मात्र उग्रवादी / आतंकवादी हिंसा की स्थिति में लागू होगा।

(ix) इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/स्वीकृत्यादेश / निदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

(x) उक्त प्रावधान सैप गठन की तिथि अर्थात् दिनांक-07.06.2008 से लागू होगी ।

8. उक्त पर विभागीय संलेख ज्ञापांक 5832, दिनांक 04.10.2024 के क्रम में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 08.10.2024 को संपन्न बैठक में मद संख्या 23 के रूप में स्वीकृति प्रदान किया गया है ।

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

प्रपत्र-1**उग्रवादी / आतंकवादी हिंसा / मुठभेड़ में मृत SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र**

- (क) 1. मृत SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों का नाम..
 2. पता.....
 3. मृत्यु की तिथि.....
 4. मृतक का आधार संख्या.....
 5. मृतक के अंतिम पदस्थापन जिला / कार्यालय का नाम.....
 6. घटना के संदर्भ में दर्ज प्राथमिकी संख्या/थाना की विवरणी -.....
- ख. 1. आश्रित दावेदार का नाम-.....
 2. मृत SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों से संबंध.....
 3. जन्म तिथि.....
 4. आधार संख्या.....
 5. शैक्षणिक योग्यता-.....
 6. अन्य अर्हता (यदि कोई हो तो)-
- ग. अपेक्षित निम्न कागजात की छायाप्रति संलग्न है (जो संलग्न है उसे करें)-
 (i) मृत SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों का मृत्यु प्रमाण पत्र।
 (ii) आवेदक का उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र।
 (ii) आवेदक का शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र।
 (iv) अन्य आश्रित सदस्यों का अनापत्ति शपथ पत्र।
 (v) आवेदक द्वारा भरण-पोषण संबंधी शपथ पत्र।
 (vi) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची।
 (vii) मृतक एवं आश्रित का आधार कार्ड।
 (viii) यदि मृतक अथवा आश्रित का उनके विभिन्न दस्तावेज / कागजात में नाम में भिन्नता हो तो इस संबंध में शपथ पत्र।

घोषणा-

- मैं, एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि उपरलिखित सूचनाएँ मेरे जानकारी के अनुसार सही हैं। यदि कोई उपरलिखित तथ्य भविष्य में सही नहीं पाया गया तो मुझे सेवा से हटा दिया जायेगा।
- मैं, एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल सहजता पूर्वक करूँगा / करूँगी / यदि कभी ऐसा प्रमाणित होगा कि आश्रित परिवार के किसी सदस्य के देखभाल सहजता पूर्वक नहीं करता हूँ तो मुझे सेवा से हटा दिया जाएगा।

तिथि-

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम.

पता-

प्रपत्र-2**उग्रवादी / आतंकवादी हिंसा / मुठभेड़ में मृत SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में जाँच पत्र एवं अनुशंसा**

- (क) 1. मृत SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों का नाम.....
 2. घटना के समय मृतक का उम्र.....
 3. मृत्यु की तिथि.....
 4. मृतक का पता -.....
 5. मृतक के अंतिम पदस्थापन जिला एवं कार्यालय का नाम.....
 6. मृतक का आधार संख्या.....
 7. घटना के संदर्भ में दर्ज प्राथमिकी संख्या/थाना की विवरणी.....
 8. घटना की प्रकृति (उग्रवादी / आतंकवादी हिंसा अथवा मुठभेड़)-
- ख. 1. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आश्रित दावेदार का नाम...
 2. किस पद नियुक्ति की अनुशंसा की गई है.....
 3. मृत व्यक्ति के साथ संबंध.....
 4. आधार कार्ड संख्या.....
 5. जन्म तिथि/घटना के समय उम्र.....
- ग. अपेक्षित निम्न कागजात की छायाप्रति संलग्न है (जो संलग्न है उसे करें)-
 (i) मृत SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
 (ii) आवेदक का उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र ।
 (iii) आवेदक का शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ।
 (iv) अन्य आश्रित सदस्यों का अनापत्ति शपथ पत्र ।
 (v) आवेदक द्वारा भरण-पोषण संबंधी शपथ पत्र ।
 (vi) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची ।
 (vii) मृतक एवं आश्रित का आधार कार्ड ।
 (viii) यदि मृतक अथवा आश्रित का उनके विभिन्न दस्तावेज / कागजात में नाम में भिन्नता हो तो इस संबंध में शपथ पत्र ।
 (ix) प्राथमिकी/फर्दब्यान की प्रति ।
 (x) पुलिस जाँच प्रतिवेदन यथा 1. पर्यवेक्षण टिप्पणी / प्रतिवेदन एवं 2. अंतिम प्रपत्र / प्रतिवेदन ।
 (xi) यदि अनुकम्पा नियुक्ति की अनुशंसा आरक्षी के पद की गई हो तो इसके लिए शारीरिक एवं शैक्षणिक अर्हता होने से संबंधित प्रतिवेदन ।
 (xii) अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन (Post Mortem Report) ।
 (xiii) अनुकम्पा समिति की अनुशंसा (यदि आश्रित की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अधिकतम उम्र सीमा क्षांत करना हो तो अनुकम्पा समिति के कार्यवाही में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए) ।
 (xiv) आश्रित दावेदार का अपराधिक इतिहास प्रतिवेदन (विगत पांच वर्षों में जहां-जहां निवाश किये हों उससे संबंधित थाना से अथवा Crime and Criminal Tracking Network & Systems से जाँच कर)। यदि इनके विरुद्ध किसी थाना में कोई मामला दर्ज है, तो उसकी अद्यतन स्थिति के साथ प्रतिवेदन ।
- घ. प्रमाणित किया जाता है कि मृतक SAP (Special Auxiliary Police) कर्मियों स्व० ग्राम/मोहल्ला.. थाना के निवासी थे तथा इनका अंतिम पदस्थापन कार्यालय / जिला को उग्रवादी / आतंकवादी घटना में हो गई है । उपर्युक्त जिला-... है। इनकी मृत्यु दिनांक... कागजात के साथ आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजी जा रही है ।

उपायुक्त का हस्ताक्षर
